कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 595 / रूसा/2020 भोपाल, दिनांक 07/ 11/2020

प्रति,

कुलसचिव,
परंपरागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

विषय: प्रदेश के परम्परागत विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना एवं नवोन्मेषी विचार/स्टार्ट अप्स को पोषित करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: "आत्म निर्भर मध्य प्रदेश" के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक: एफ-23-10/2020/38-2; दिनांक : 30.09.2020 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक: 04.11.2020 ।

"आत्म निर्भर मध्य प्रदेश" के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा उपरोक्त पत्रों द्वारा विभिन्न आउटकम इंडीकेटर्स पर कार्य करने हेतु समय सीमा एवं निर्देश जारी किये गए हैं । इनके अंतर्गत आउटपुट इंडिकेटर 11 के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे नवोन्मेषी विचार एवं स्टार्ट अप्स को पोषित किया जा सके । इन केन्द्रों के तहत विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक /अशैक्षणिक स्टाफ को नवीन विचारों, प्रयोगों, प्रारूपों एवं विधियों की उत्पत्ति एवं उन्नयन हेतु प्रेरित किया जाना संभव हो सकेगा ।

कुलसचिवों से अपेक्षित है कि वे अपने सम्बंधित विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना हेतु समिति बनाकर इसकी स्थापना एवं कार्ययोजना से सम्बंधित संक्षिप्त प्रस्ताव बनाकर इस कार्यालय को दिनांक 20.11.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर नीति निर्धारित की जा सके । यदि इस प्रकार का केंद्र विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित हो तो इसकी संरचना, गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 20.11.2020 तक ई- मेल आई. डी. **spdmpwb@gmail.com** पर उपलब्ध करायें ।

इस केंद्र की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक अधिकारी/प्राध्यापक को चिन्हित कर उनका नाम, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. भी इस कार्यलय को उपरोक्त प्रस्ताव /रिपोर्ट के साथ उपलब्ध कराएं।

(चंद्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा

क्रमांक 596 / रूसा /2020 भोपाल, दिनांक 07 /11/2020

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव महोदय, म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल, म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।

अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा